Power Corporation and Power Grid Corporation, in the case of Rural Electrification Corporation and Power Finance Corporation, these dues are from 1.6.1992 to 30.9.1996. The surcharge/interest etc. pertains to prior period also.

(b) The above dues are against the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, J&K, Karnataka, Kerala, M.P., Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Orissa, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh, West Bengal, Delhi and UT of Chandigarh.

(c) Government has decided that future supply of power by Central Power Sector Undertakings will be against advance payment or irrevocable letter of credit.

Dues of State Electricity Boards to Central Power Public Undertakings

170. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Ministry of Power has sought Government's nod for appropriation of Rs. 10.000 crore worth dues of State Electricity Boards to Central Power Public Undertakings;

(b) whether it is also a fact that the other Central Power Public Undertakings including Power Grid Corporation, North Eastern Electricity Power Company and Damodar Valley Corporation also have large outstandings from State Electricity Boards; and

(c) if so, what is Government reaction in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) to (c) Rs. 802S.6S crores is outstanding against the State Electricity Boards/State Governments as on 30.9.1996 of the dues of the Central Power Sector Undertakings including Power Grid Corporation, North Eastern Electric Power Corporation and Damodar Valley Corporation. Government has, therefore, approved, in principle, the proposal of the Ministry of Power for recovery of the dues through appropriation from Central Plan Assistance to the States. It has also been decided that the future supply of power would be against advance payments or irrevocable letters of credit.

विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार

171. श्री राम जेठमलानी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में व्यापक सुधार करने के लिए इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बिजली योजना तैयार करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार अपनी राष्ट्रीय विद्युत नीति को कब तक घोषित करने का विचार रखती है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. एस. वेणुगोपालाचारी): (क) से (ग) सरकार ने विद्युत क्षेत्र के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श आरंभ किया है। इस संबंध में रूपात्मकताओं पर 25 नवम्बर, 1996 को आयोजित किए जाने वाले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार-विमर्श किया जाएगा।

Amendment of Electric Supply Act

172. PROF. RAM KAPSE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to amend the Electric Supply Act with several objectives;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when it is proposed to be introduced?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALACHARI): (a) The Government has no finalised any proposal for amendment of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(b) and (c) Do not arise.

गुजरात में नेहरू रोजगार योजना का विफल होना

173. श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के महानगर परिषद् तथा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में बैंकों द्वारा

सहयोग न किए जाने तथा सिविल निकायों के अप्रभावी कार्यकरण के कारण प्रधान मंत्री रोजगार योजना तथा नेहरू रोजगार योजना पूर्णत: विफल रही है;

(ख) यदि नहीं, तो 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के वर्षों के दौरान इस संबंध में गुजरात में, विशेष रूप से अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा और जामनगर की तथ्यात्मक स्थिति क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई विस्तृत अध्ययन कराया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी. वेंकटेश्वरलु): (क) जहां तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) का संबंध है, विकास आयुक्त लघु उद्योग ने सूचना दी है कि योजना गुजरात राज्य में असफल नहीं हुई है। इसी प्रकार नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) भी पूर्णतया असफल नहीं हुई है। इस योजना के कार्यान्वयन में बैंक और नागरिक निकाय सहयोग दे रहे हैं।

(ख) अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा और जामनगर के सम्बन्ध में वर्ष 1993-94, 1994-95 और 1995-96 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना और नेहरू रोजगार योजना बाबत तथ्यपरक स्थिति क्रमश: विवरण I और II में दी गयी है।

(ग) जहां तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना का संबंध है गुजरात में कोई विस्तृत अध्ययन नहीं कराया गया है। तथापि, राज्य सरकार ने अपने मूल्यांकन निदेशक के माध्यम से एन आर वाई का कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन कराया है।

विवरण-I

गुजरात के नगर निगमों में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के कार्यान्वयन बाबत तथ्यपरक स्थिति

क्र सं	राज्य	स्वीकृत मामले		
		1993-94	1994-95	1995-96
1.	अहमदाबाद	40	500	1092
2.	राजकोट	3	297	651
3.	सूरत	42	381	1061
4.	बड़ोदरा	23	431	645
5.	जामनगर	13	165	438

विवरण-II

गुजरात के नगर निगमों में नेहरू रोजगार योजना के कार्यान्वयन के संबंध में तथ्यपरक स्थिति

क्र सं	नगर निगम का नाम	वर्ष	नियतन	31.3.96 तक वास्तविक व्यय
1.	अहमदाबाद	93-94	23.32	
		94-95	20.74	37.56
		95-96	36.14	
		योग	80.20	
2.	राजकोट	93-94	14.57	
		94-95	13.24	
		95-96	7.65	8.43
		योग	35.46	
3.	सूरत	93-94	38.46	
		94-95	35.29	14.80
		95-96	20.53	
		योग	94.28	
4.	बड़ोदरा	93-94	26.14	
		94-95	25.74	17.87
		95-96	14.13	
		योग	66.01	
5.	जामनगर	93-94	9.15	
		94-95	8.79	9.34
		95-96	4.68	
		योग	22.62	